विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-31/16

मेसर्स कमल कॉट स्पीन प्रा.लि. — आवेदक
द्वारा– श्री कमल लाठ
ग्राम– रहीपुरा, तह. व जिला–बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन निदेशक (इंदौर क्षेत्र) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इंदौर म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर म.प्र

आदेश

(दिनांक 25.04.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0358316 मेसर्स कमल कॉट स्पीन प्रा.लि. विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (इ क्षे), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–31/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 25.04.2017 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी एवं अनावेदक की ओर से श्री डी.के. श्रीवास्वत, कार्यपालन यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

04 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनका एक उच्चदाब विद्युत कनेक्शन ग्राम रहीपुरा में स्थित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। आवेदक के उद्योग को 33 केवीए फीडर से विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उच्चदाब टैरिफ की कंडिका 3.1 के अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

05 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उनके विद्युत कनेक्शन पर लागू टैरिफ 3.1 सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका (डी) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करने वाले फीडर से संयोजित उपभोक्ता को 5 प्रतिशत फिक्स चार्जेस पर एवं 20 प्रतिशत न्यूनतम खपत पर छूट दिये जाने का प्रावधान है जो कि अनावेदक द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

06 दिनांक 12.4.2017 को सुनवाई के दौरान उपस्थित अनावेदक श्री डी.के. श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री को प्रकरण के संबंध में यह स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया था कि क्या ग्राम रहीपुरा

इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर है अथवा शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बुरहानुपर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, दस्तावेज प्रस्तुत करें।

07 दिनांक 25.04.2017 को अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि मेसर्स कमल कॉट स्पीन प्रा.लि. का उच्चदाब कनेक्शन ग्राम रहीपुर में स्थित है जो कि औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता है और न ही ग्राम रहीपुर बुरहानपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत शामिल है।(ओई–1)

08 अनावेदक द्वारा अपनी लिखित बहस में यह भी बताया गया कि चूंकि उक्त कनेक्शन 33 केवीए इण्डस्ट्रीयल फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है एवं इसका रख–रखाव भी औद्योगिक फीडर हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जा रहा है। अतः उच्चदाब कनेक्शन हेतु लागू टैरिफ 3.1 सामान्य निबंधन एवं शर्ते की कंडिका (डी) के अनुसार उपभोक्ता को नियत प्रभार एवं न्यूनतम खपत पर क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की छूट नहीं दी जा सकती।

उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत लिखित बहस एवं तर्क सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आये–

अ आवेदक का एक उच्चदाब विद्युत कनेक्शन जिसकी की संविदा भार 2050 केवीए है, ग्राम रहीपुरा क्षेत्र में स्थित है जो कि पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

ब आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन को प्रचलित टैरिफ 3.1 के अनुसार जो कि 33 केवीए से टैरिफ लागू है से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

स प्रचलित टैरिफ 3.1 में दी गई सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका (डी) के अनुसार आवेदक को नियत प्रभार (फिक्स चार्जेस) को 5 प्रतिशत एवं न्यूनतम खपत में 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

द अनावेदक के अनुसार ग्राम रहीपुरा न तो औद्योगिक विकास क्षेत्र है और न ही शासन द्वारा जारी किसी अधिसूचना से नगर निगम बुरहानुपर की सीमा में शामिल किया गया है।

09 माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका 3.1(डी) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया है जो कि शासन की अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ–13/05/13/2006 दिनांक 25.3.2006 के अनुसार शहरी क्षेत्रों को दर्शाया गया है, इसके अलावा शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र है जिसके अनुसार ग्राम रहीपुरा पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में आता है।

उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि–

10 आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्राम रहीपुरा में स्थित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है।

11 अनावेदक का यह कहना कि आवेदक को औद्योगिक फीडर से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अतः उन्हें छूट दिया जाना संभव नहीं है जो कि उचित एवं न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि फीडर का वर्गीकरण एवं नामकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है। जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता पर अपनी इच्छा अनुसार टैरिफ लागू करने का अधिकार नहीं है।

12 उपरोक्त तर्कों से यह स्पष्ट है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में है अतः प्रचलित टैरिफ 3.1 में दी गई सामान्य निबंधन एवं शर्तें की कंडिका (डी) के अनुसार नियत प्रभार एवं न्यूनतम खपत में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दी गई छूट दी जाना चाहिए।

13 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचालित टैरिफ में छूट दिये जाने का प्रावधान किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ निर्धारित करते समय सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को परिवर्तन करने हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत किया था जिसे कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा मान्य नहीं किया गया।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अनावेदक आवेदक को दिये गये विद्युत कनेक्शन की तिथि से माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार आवेदक को नियत प्रभार एवं न्यूनतम खपत में क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की छूट प्रदान करे।

ब आवेदक से उपरोक्त अवधि में यदि अधिक राशि जमा कराई गई है तो उसका समायोजन आगामी विद्युत देयकों में करें।

स फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

14 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल